



2026:AHC:6977

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - B No. - 3807 of 2025

Surendra Singh

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Jai Raj, Krishna Kumar Singh
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 54

HON'BLE DINESH PATHAK, J.

1. Heard learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel for the State-respondent and perused the record.
2. The instant writ petition has been filed, inter alia, seeking the following reliefs:-

"i. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondent no. 3 to execute the order dated 26.08.2025 passed by the respondent no. 2.

ii. Issue any other suitable writ order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

iii. Award the cost of the petition to the petitioner. "

3. Learned Standing Counsel has filed a copy of the instruction today in Court, which is taken on record. Office is directed to proceed, accordingly.

4. He has submitted, on the basis of instructions, that the order dated 26.08.2025 passed by the Consolidation Officer was subsequently modified by order dated 06.01.2026, based on the report dated 02.01.2026 submitted by the Consolidator. It is further submitted that in pursuance of the order dated 06.01.2026 'Parwana Amaldaramat' has been ordered to be issued by the order dated 08.01.2026 passed by the Consolidation Officer, under Rule 109A(2) of the U.P. Consolidation of Holdings Rules. The order dated 08.01.2026 is reproduced herein below:-

मण्डल:- आजमगढ़, जनपद:-आजमगढ़, तहसील:- सगड़ी

न्यायालय चकबन्दी अधिकारी

वाद संख्या:- 0442/2026

सुरेन्द्र बनाम सरकार**अंतर्गत धारा:- 109-क (1), उ०प्र० जोत चकबन्दी नियमावली, 1954****आदेश तिथि:- 08/01/2026****ग्राम-गहजी, परगना-कोडिया, तहसील-बूढ़नपुर जनपद-आजमगढ़।****परवाना आदेश**

आदेश हुआ कि चकबन्दी अधिकारी फूलपुर के वाद सं० 16 ता०फै० 06.01.2026 धारा 21 (1) के अनुपालन में ग्राम गहजी के जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के खाता सं० 505 में अंकित नयी गाटा सं० 979 मि०/0.105 खारिज करके आकार पत्र 45 के खाता सं० 563 में रामदुलार पुत्र रामराज के नाम व आकार पत्र 45 के खाता सं० 403 में अंकित नई गाटा सं० 949 मि०/0.010 व 951 मि०/0.050 खारिज करके आकार पत्र 45 के खाता सं० 831 चकमार्ग के नाम व खाता सं० 653 में अंकित नई गाटा सं० 945 मि०/0.010 खारिज करके चकमार्ग के खाता सं० 881 में व 945 मि०/0.093 खारिज करके आकार पत्र 45 के खाता सं० 403 में राजेश पुत्र तीरथराज आदि के नाम व खाता सं० 563 में अंकित नई गाटा सं० 974 मि०/0.025 खारिज करके खाता सं० 878 में नाली के नाम व 974 मि०/0.050 खारिज करके खाता सं० 881 मि० चकमार्ग के नाम व खाता सं० 423 में अंकित नई गाटा सं० 341 मि०/0.086 खारिज करके खाता सं० 870 में बचत/नवीन परती के नाम तथा खाता सं० 870 बचत/नवीन परती में अंकित नई गाटा सं० 900 मि०/0.040 खारिज करके खाता सं० 505 में रणजीत मारकण्डे रामयज्ञ पुत्रगण शिवमूरत आदि के नाम व नई गाटा सं० 944 मि०/0.103 कड़ी खारिज करके खाता सं० 653 में फिरती पुत्र मुन्नर आदि के नाम व गाटा सं० 944 मि०/0.183 कड़ी खारिज करके खाता सं० 423 में सुरेन्द्र, जितेन्द्र, महेन्द्र पुत्रगण मातवर आदि के नाम दर्ज हो। नई गाटा सं० 974 मि०/0.025 कड़ी से निर्मित नाली की नयी गाटा सं० 976/1565 कायम होकर नई गाटा सं० 974 मि०/0.050 कड़ी से निर्मित चकमार्ग की नई गाटा सं० 974/1566 व नई गाटा सं० 951 मि०/0.050 से निर्मित चकमार्ग की नई गाटा सं० 951/1567 तथा नई गाटा सं० 945 मि०/0.010 कड़ी, 949 मि०/0.010 कड़ी से निर्मित चकमार्ग की नई गाटा सं० 945/1568 कायम हो।

चकबन्दी अधिकारी\

सगड़ी/नियम-109 क

सगड़ी, आजमगढ़।

5. In view of the order dated 08.01.2026 passed by the Consolidation Officer as mentioned above, no cause of action survives to maintain the instant writ petition for implementation of the order dated 26.08.2025.

6. As such the instant writ petition **is dismissed as infructuous.**

(Dinesh Pathak,J.)**January 12, 2026**

Neetu